सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु

सिद्धार्थनगर– 272202 उ०प्र० (भारत)

Website :www.suksn.edu.in, Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

अधिसूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के आवासीय खण्ड एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में शोध अध्यादेश 2018 (अद्यतन संशोधित) के अनुपालन में हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित, वाणिज्य/प्रबन्धशास्त्र, विधि, रक्षा अध्ययन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, उर्दू और लोक प्रशासन विषयों में शोध पात्रता परीक्षा 2021, **दिसम्बर माह** में प्रस्तावित है।

परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि, शुल्क, विषयवार सीटों की संख्या एवं अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर

पत्रांकः 1440/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2021 दिनांक 25/10/2021

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

2– समन्वयक, शोध पात्रता परीक्षा 2021 को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त हेतु समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3–सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कृपया उक्त सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

4– प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

5– गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

25-10-21

सहायक कुलसचिव (शोध)
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

Siddharth University Kapilvastu, Siddharthnagar

शोध पात्रता परीक्षा विवरणिका

Research Eligibility Test Brochure

शोध पात्रता परीक्षा 2021

शोध पात्रता परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

• शोध पात्रता परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि–	26–10–2021 से 15–11–2021 तक
• **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया** से ऑनलाइन से शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि :	15–11–2021
• शोध पात्रता परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रिंट करने की अन्तिम तिथि–	17–11–2021

नोट : अन्तिम तिथि 15–11–2021 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र नही भरा जा सकेगा।

शोध पात्रता परीक्षा शुल्क विवरण

1.	सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों हेतु :	रू0 1500/–
2.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु :	रू0 1000/–

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

शोध पात्रता प्रवेश परीक्षा–2021

सूचना : वर्ष 2021

वर्ष 2021 हेतु अधोलिखित विषयों में शोध पात्रता परीक्षा आयोजित है–

परीक्षा माह दिसम्बर 2021 में होगी। परीक्षा की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

1. शोध विषय, विषय कोड एवं सीट संख्या–

कमांक	विषय	विषय कोड	सीट संख्या
1-	अंग्रेजी	701	16
2-	हिन्दी	702	40
3-	संस्कृत	703	42
4-	उर्दू	704	06
5-	प्राचीन इतिहास	705	26
6-	मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास	706	10
7-	अर्थशास्त्र	707	08
8-	समाजशास्त्र	708	30
9-	राजनीति विज्ञान	709	08
10-	लोक प्रशासन	710	14
11-	वाणिज्य / प्रबन्धशास्त्र	712	12
12-	शिक्षाशास्त्र	713	38
13-	विधि	714	06
14-	भूगोल	715	10
15-	रसायन विज्ञान	716	24
16-	भौतिक विज्ञान	717	12
17-	गणित	718	08
18-	प्राणी विज्ञान	719	20
19-	वनस्पति विज्ञान	720	07
20-	रक्षा अध्ययन	721	04

नोटः

1. उक्त सीटों की संख्या अनन्तिम है। शोध पात्रता परीक्षा 2021 का परीक्षाफल घोषित होने के समय शोध निर्देशकों के नाम और वर्गवार रिक्त सीटों की अन्तिम संख्या घोषित की जायेगी। जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

शोध के लिए अर्हता (Eligibility Conditions for Research):

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग आवेदको के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत) अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी–एच0डी0 उपाधि के लिए शोध पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते है।

(ख) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षक लिखित शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे किन्तु उन्हें अनिवार्य रूप से साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा।

(ग) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होने U.G.C., CSIR इत्यादि की J.R.F., NET एवं समकक्ष GATE अथवा समकक्ष परीक्षा उर्त्तीर्ण की है वे विश्वविद्यालय की लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे लेकिन उन्हें भी अनिवार्य रूप से साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा।

2. **शोध पात्रता परीक्षा (Process of Research Eligibility Test):**

   1. शोध पात्रता परीक्षा दो चरण (लिखित एवं साक्षात्कार) में होगी। प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित बहुविकल्पीय तथा द्वितीय भाग साक्षात्कार का होगा। परीक्षा का पूर्णांक 200 अंको का होगा जिसमें लिखित परीक्षा 140 तथा साक्षात्कार 60 अंकों का होगा।
   2. शोध पात्रता परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय कैम्पस में ही होगा। विशेष परिस्थिति में यदि विश्वविद्यालय में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध न हो तो राजकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय में इसका केन्द्र बनाया जा सकता है।
   3. **लिखित परीक्षा में पूर्णांक का 50 प्रतिशत अंक अर्हता हेतु अनिवार्य होगा।** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग तथा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को 05 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।
   4. परीक्षा का परिणाम मेरिट के अनुसार वर्गवार तैयार करके विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

3. **लिखित प्रवेश परीक्षा से छूट (Exemption From Written Entrance Test):**

   निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पी–एच0डी0 में प्रवेश के लिए लिखित शोध पात्रता परीक्षा से छूट होगी, लेकिन **उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा।**

   1. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु और इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षक।
   2. विदेशी अभ्यर्थी (एन0आर0आई0 सहित) जो समय–समय पर केन्द्र सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि सम्बन्धी बनाये गये नियमों एवं शर्तो से प्रभावित होते हैं।
   3. यू0जी0सी0/सी0एस0आई0 आर0/आईसी0ए0आर0 द्वारा चयनित जे0आर0एफ0/नेट/यू0पी0 स्लेट/एम0फिल0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
   4. जिन अभ्यर्थियों ने GATE की परीक्षा में कम से कम 75 % अंक प्राप्त किये हों।
   5. शोध पात्रता परीक्षा में लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों का प्रवेश साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को 200 अंक पर स्केल (शोध पात्रता परीक्षा का पूर्णांक) करने के उपरान्त सभी अभ्यर्थियों के साथ संयुक्त श्रेष्ठता सूची वरीयता क्रम में प्रवेश सुगम बनाने हेतु तैयार की जायेगी।

4. शोध पात्रता परीक्षा से सम्बन्धित सामान्य निर्देश–

1. प्रवेश परीक्षा हेतुं निर्धारित ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट–www.suksn.edu.in पर दिये गये समस्त निर्देशों को भलीभांति पढ़कर उसका पालन करते हुए आवेदन–पत्र में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन के किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. प्रत्येक संवर्ग (श्रेणी) के लिए कोड निर्धारित किये गये हैं। निर्देशानुसार आवेदन–पत्र को सावधानी के साथ भरा जाना चाहिए। इसमें की गई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व नवीनतम खिंचवाई गई स्पष्ट फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपने पास पेनड्राइव/सी0डी0 में सुरक्षित रख लें। ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
4. यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु दो विषयों की शोध पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र भरना होगा। किसी भी दशा में एक विषय के लिए भरा गया आवेदन दूसरे विषय में स्थानान्तरित नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में न तो वापस किया जायेगा और न ही अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।
6. प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट– www.suksn.edu.in से परीक्षा के 03 दिवस पूर्व डाउनलोड किया जा सकेगा।
7. प्रवेश लेते समय अभ्यर्थी को प्रवजन प्रमाण–पत्र तथा एक शपथ–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।
8. शोध पात्रता परीक्षा के प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट अथवा उनके ईमेल पते के माध्यम से सूचित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने पर साक्षात्कार हेतु पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
9. ***यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है और उसे प्रवेश–पत्र निर्गत कर दिया जाता है, जिसे प्रवेश परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो अथवा वह अर्ह न हो अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र न हो तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह उसकी परीक्षा में बैठने की अनुमति अथवा उसके परीक्षाफल को निरस्त कर दे।***
10. साक्षात्कार के समय अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्णता का अंकपत्र तथा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. शोधार्थियों हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित नियम, परिनियम लागू होंगे।

5. आरक्षण (Reservation):

आरक्षण संवर्ग– प्रवेश के समय राज्य सरकार की अद्यतन नीति के अनरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण देय होगा। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र में यथा

स्थान अधोलिखित तालिका को देखकर संवर्ग के साथ ही संवर्ग कोड लिखना अनिवार्य होगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **उ0प्र0 सरकार के शासनादेश के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें।**

- **आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों। महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से निर्गत् होना आवश्यक है। पति के नाम का अंकित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**

तालिका / Table

संवर्ग	कोड संख्या	संवर्ग	कोड संख्या
सामान्य	**01**	अनुसूचित जाति	**03**
अन्य पिछड़ा वर्ग	**02**	अनुसूचित जनजाति	**04**
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	**05**		

6. शोध पंजीकरण प्रकिया (Research Registration Process):

(क) शोध पात्रता परीक्षा का अन्तिम परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित होगा। परिणाम घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी शोध पर्यवेक्षक की सूची में से अपने विषय के शोध पर्यवेक्षक का सहमति पत्र (विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रारूप पर) तथा सेवारत अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क हेतु 06 माह के अवकाश का प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शोध अनुभाग में जमा करने के उपरान्त ही शोध प्रवेश शुल्क **(कोर्स वर्क)** जमा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ख) प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर अभ्यर्थी निर्धारित शोध शुल्क जमा करेगा। यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कर देता है तो उसका पंजीकरण हो जायेगा और शुल्क जमा करने की तिथि से वह पंजीकृत माना जायेगा। उक्त तिथि तक यदि शोधार्थी शुल्क जमा नहीं करता है तो उसके प्रवेश का अधिकार स्वतः निरस्त हो जायेगा और प्रतीक्षा सूची में उसके बाद के स्थान पर निर्दिष्ट छात्र को अवसर दिया जायेगा।

(ग) कोर्स वर्क सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1. विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय में स्थापित अध्ययन केन्द्र के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी समय–सारिणी और कार्य–योजना के अनुरूप सम्बन्धित विषय के विभाग प्रभारी / विभागाध्यक्ष द्वारा कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कक्षाएँ संचालित की जा सकती हैं। जिन दिनों में कक्षाएँ संचालित होंगी, उन दिनों में सम्बन्धित शोधार्थी द्वारा उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

3. कम्प्यूटर/प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उपस्थिति पंजिका पर उक्त अवधि में शोधार्थियों को हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक अवधि के लिए अलग–अलग उपस्थिति पंजिकाएँ तैयार की जायेंगी।
5. प्रत्येक विषय के विभाग प्रभारी/विभागाध्यक्ष उपस्थिति पंजिका को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करके अध्ययन केन्द्र समन्वयक को प्राप्त करायेंगे, जिसे प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराके प्रत्येक माह विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

(घ) कोर्स वर्क की फीस के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को 20000/(बीस हजार मात्र) भुगतान करने होंगे। पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) अनु0जाति/अनु0जनजाति एवं दृष्टि बाधित एवं दिव्यांगो (40 प्रतिशत निःशक्तता) के लिए यह फीस 10000/(दस हजार मात्र) निर्धारित है।

(ङ) सभी प्रवेशित छात्र को 06 माह का कोर्स वर्क करना आवश्यक होगा।

(च) 06 माह के कोर्स को शोध (पी–एच0डी0) की तैयारी माना जायेगा जिसमें रिसर्च मैथडोलॉजी, क्वांटिटेटिव मैथड्स, कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स एवं शोध से सम्बन्धित क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों के पुनरीक्षण की तैयारी करायी जायेगी।

(छ) विभागाध्यक्ष द्वारा कोर्स वर्क की समय सारणी, अध्ययन–अध्यापन, निरन्तर मूल्यांकन तथा आन्तरिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जायेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा कोर्स वर्क का पाठ्यक्रम विभागीय समिति व अध्ययन समिति की सहायता से तैयार किया जायेगा।

(ज) कोर्स वर्क की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र के सभी कक्षाओं में (लिखित एवं प्रायोगिक) न्यूनतम् 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हैं यदि किसी विद्यार्थी की बीमारी के कारण, खेलकूद या अन्य गतिविधियों में भाग लेने की वजह से उपस्थिति कम रह गयी है तब निम्नलिखित नियम लागू होंगे :–
5 प्रतिशत तक की कम उपस्थिति को संयोजक/विभागाध्यक्ष/निदेशक द्वारा छूट दिया जा सकता है, अधिकतम 10 प्रतिशत तक की कम उपस्थिति को संयोजक/विभागाध्यक्ष/निदेशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा छूट दिया जा सकता है। इस छूट के बावजूद न्यूनतम् 65 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है।

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा कोर्स वर्क की परीक्षा करायी जायेगी, आन्तरिक मूल्यांकन सहित कोर्स वर्क परीक्षा में पास होने के लिए (सभी अभ्यर्थियों के लिए) प्रत्येक पेपर में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

(ञ) यदि कोई अभ्यर्थी कोर्स वर्क में फेल हो जाता है तो उसे अगले बैच के साथ कोर्स वर्क परीक्षा पास करने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा।

7. समय–समय पर शासन /विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित नियम शोधार्थियों पर लागू होंगे।

8. किसी भी विवाद की स्थिति में विद्यापरिषद के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

9. प्री–पी0एच–डी0 कोर्स वर्क सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शोध निर्देशक एवं शोध केन्द्र नियमानुसार आवंटित किया जायेगा।

****

Smt. Anandiben Patel
Hon'ble Chancellor &
H.E. Governor of U.P.

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

Siddharth University Kapilvastu, Siddharthnagar

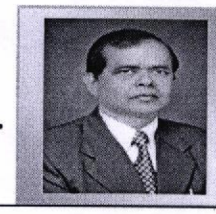

Prof. Hari Bahadur Shirvastava
Vice Chancellor

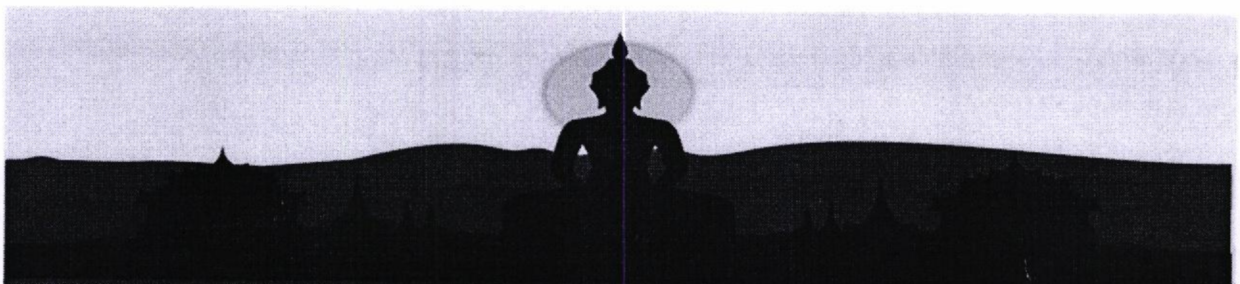

कुलगीत

आत्म दीप प्रकाश पावन विद्याधाम विश्वविद्यालय यही
सिद्धार्थ जिसका नाम।

बुद्ध की करूणा अहिंसा प्रेम का उपहार,
उमड़ता रहता अहर्निश शांति-पारावार,
ज्ञान का आलोक मानव का परम संदेश,
नित्य प्रज्ञा प्रीति गुरूओं का नवल निवेश।

आत्म दीप प्रकाश पावन...

परम् पावन निर्मल पुण्य भूमि प्रकाश,
ज्ञान का आनंद का आलोक का आकाश,
महा करूणा से अंलकृत कपिलवस्तु महान,
अमरता की चिर तृषा का लोक मंगल गान।

आत्म दीप प्रकाश पावन...

नमन इसको इस धरा को कोटि-कोटि प्रणाम,
यह नहीं बस एक संस्था तीर्थ अमृत धाम,
महा प्रज्ञा महा करूणा शांति का संदेश,
विश्व गुरू का यह तपोमय ज्ञान का परिवेश।

आत्म दीप प्रकाश पावन परम् विधाधाम विश्वविद्यालय यही
सिद्धार्थ जिसका नाम।।

Siddharth University Kapilvastu,
Siddharthnagar 272202 (U.P.) India